

शिया क़ौम से एक अपील

देश में ऐसी बहुत सी सम्पत्तियाँ हैं जो अल्लाह, रसूल और इमाम से सम्बन्ध रखती हैं। जिसे हमारे पूर्वजों ने धर्म और समाज के विकास के लिए वक्फ़ किया था मगर अफ़सोस है कि आज वही अनमोल सम्पत्तियाँ जो धर्म और समाज के विकास के लिए वक्फ़ की गई थीं उन्हें उन्ही सम्पत्तियों के प्रबन्धक एवं रक्षक ही लूट खसोट रहे हैं और उस उद्देश्य की अनदेखी की जा रही है जिसके लिए ये सम्पत्तियाँ वक्फ़ की गई थीं।

सर्वे के अनुसार यदि इन सम्पत्तियों का उपयोग वक्फ़ करने वाले की मन्शा के हिसाब से बिल्कुल सही-सही कर दिया जाय तो मुसलमानों की सभी आर्थिक समस्याएँ ख़त्म हो जाएँ। ये वक्फ़ सम्पत्तियाँ लग-भग साठ लाख एकड़ भूमि की सूरत में मौजूद हैं जो रेलवे और रक्षा जैसे बड़े विभागों के बाद तीसरे नम्बर पर है। वक्फ़ की आय समाज सेवा, चिकित्सा एवं शिक्षा के साथ-साथ मजलिसों और धर्म के प्रचार-प्रसार में खर्च की जानी चाहिए। वाकिफ़ की मन्शा के अनुसार इन सम्पत्तियों की देखरेख एवं रक्षा हम सब की समाजिक व धार्मिक ज़िम्मादारी है। हमारे समाज के अधिकतर लोग इन सम्पत्तियों में लूट खसोट होते देख रहे हैं मगर उनमें विभिन्न प्रकार के लोग हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये वक्फ़ सम्पत्तियों की रक्षा एक ऐसी समस्या है जिसके लिए हर प्रयत्न बेकार है, कुछ लोगों का मानना है कि जब समाज के बड़े-बड़े लोग ही वक्फ़ सम्पत्तियों को प्रत्यक्षतः रक्षक बन कर उनको हानि पहुँचा रहे हैं तो हम जैसा आम नागरिक क्या कर सकता है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो चाहते तो हैं कि खोई हुई वक्फ़ सम्पत्तियाँ वापस मिलें मगर उनके पास ना ही समय है ना ही वक्फ़ सम्पत्तियों के बारे में कोई क़ानूनी जानकारी।

केन्द्र सरकार ने वक्फ़ के लिए नये-नये नियम बनाए हैं वक्फ़ सम्पत्तियों के मामलों को हल करने के लिए अलग से एक न्यायाधिकरण का गठन किया है मगर हमारे समाज के सीधे-सादे लोगों को इन बातों की जानकारी ही नहीं है तो उन नियमों से लाभ उठाना तो दूर की बात है। हालाँकि सरकारें इसमें भी अपना निजी लाभ सोच रही हैं और प्रशासन इन नियमों को लागू करने में कतरा रहा है।

अगर आप हमारा साथ दें! तो हम नये-नये नियमों के द्वारा खोई हुई वक्फ़ सम्पत्तियाँ पुनः प्राप्त कर सकते हैं और जो सम्पत्तियाँ बाकी बची हुई हैं उन की उचित तरीके से रक्षा कर सकते हैं।

आप वक्फ़ सम्पत्तियों की रक्षा में किस तरह सहयोग करें

अगर आपके पास वक्फ़ से सम्बंधित कोई कागज़, वसीयत नामा, वक्फ़ नामा, वक्फ़ मुकदमों की फाइल आदि हो तो उसे हमारे ई-मेल noorehidayat@gmail.com पर भेजें।

अगर आपकी जानकारी में किसी वक्फ़ सम्पत्ति पर कोई भी ख़ुर्द-बुर्द/धान्धली हो रही हो तो उसका फोटो सहित विवरण हमें भेजें। आप अपने ज़िले में "सूचना के अधिकार" नियम के अन्तर्गत वक्फ़ से सम्बंधित सूचना प्राप्त करें और अपने राज्य के वक्फ़ बोर्ड से दफा 37 की नक्ल और अन्य सूचनाएँ प्राप्त करके हमें सूचित करें।

खुली हुई बात है कि ये कार्य कुछ क्षणों का तो नहीं मगर इसका आरम्भ करके काफी हद तक इमाम की लुटी हुई सम्पत्तियों को प्राप्त करने और बची हुई सम्पत्तियों की रक्षा करने में आप हमारी सहायता कर सकते हैं।

आपको अल्लाह तआला मासूमीन^{अस} के सदके में इसका बेहतरीन अज़्र देगा।

मिनजानिब

नूरे हिदायत फ़ाउण्डेशन, इमाम बाड़ा गुफ़रान मआब मौ0 कल्बे हुसैन मार्ग, चौक लखनऊ-3

website-www.noorehidayatfoundation.org, www.nageeblucknow.com

Phone No. 0522-2252230

Mob:-08736009814,9335969486,9335996808